



सूचना का  
अधिकार  
RIGHT TO  
INFORMATION

दूरभाष/TEL : 26962819, 26567373  
(EPABX) : 26565694, 26562133  
: 26565687, 26562144  
: 26562134, 26562122  
फैक्स/FAX : 26960629, 26529745  
Website : <http://www.dsir.gov.in>  
(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित विभाग)  
(AN ISO 9001:2008 CERTIFIED DEPARTMENT)



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग  
टेक्नोलॉजी भवन, नया महरोली मार्ग,  
नई दिल्ली - 110016  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
Department of Scientific and Industrial Research  
Technology Bhavan, New Mehrauli Road,  
New Delhi - 110016

फाइल संख्या: IRDPP-FI0Misc/6/2024-FI-DSIR

दिनांक: 30 मई, 2024

(ध्यानार्थ : अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक)

विषय : आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2एबी) के तहत फॉर्म 3सीएल में रिपोर्ट, फॉर्म 3सीएम में अनुमोदन तथा नियम 5(2) के तहत वित्तीय वर्ष 2024 और उसके बाद के लिए 1 जून 2024 से ई-मेल द्वारा आवेदन जमा करना।

महोदया/महोदय,

- डीएसआईआर से वित्तीय वर्ष 2024-25 और उसके बाद के लिए धारा 35(2एबी) के तहत 3सीएम/3सीएल और नियम 5(2) के तहत अनुमोदन का दावा करने के लिए इच्छुक कंपनियों से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन (प्रबंध निदेशक/कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित) 1 जून, 2024 से केवल ईमेल द्वारा संबंधित डीएसआईआर दिशानिर्देशों में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार डॉ. पी. के. दत्ता, वैज्ञानिक "जी" और प्रमुख आईआरडीपीपी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को संबोधित करते हुए [headfi-dsir@gov.in](mailto:headfi-dsir@gov.in) पर जमा करें।
- डीएसआईआर में 3सीके आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च है जिस वित्तीय वर्ष के लिए 3सीएम अनुमोदन मांगा गया है। डीएसआईआर में 3सीएल आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि उस असेसमेंट वर्ष की 31 अक्टूबर है जिसके लिए 3सीएल रिपोर्ट मांगी गई है।
- कंपनियों से अनुरोध है कि वे धारा 35(2एबी) और नियम 5(2) के तहत पहले जमा किए गए दस्तावेजों (3सीके/3सीएम/3सीएल) से संबंधित सभी दस्तावेज/स्पष्टीकरण डॉ. पी. के. दत्ता, वैज्ञानिक "जी" और प्रमुख आईआरडीपीपी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को संबोधित करते हुए ईमेल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं आगामी वर्षों के लिए [headfi-dsir@gov.in](mailto:headfi-dsir@gov.in) पर भेजें/जमा करें।

टिप्पणी:

1 जून, 2024 से डीएसआईआर के पास लंबित सभी 3सीएम/3सीएल/नियम 5(2) मामलों के लिए नए आवेदन और सूचना/स्पष्टीकरण की कोई हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी को डीएसआईआर के दिशानिर्देशों में उल्लेख के अनुसार भरे हुए अनुलग्नकों और दस्तावेजों के साथ एक कवरिंग लेटर जमा करना आवश्यक है, जो एकल पीडीएफ स्कैन दस्तावेज़ (स्कैन किए गए दस्तावेज़ का फ़ाइल आकार 20 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए) के रूप में हो। स्कैन की गई फ़ाइल का आकार 20एमबी सीमा से अधिक होने की स्थिति में, फ़ाइलों को तदनुसार कंप्रेस किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि कंपनी अनेक स्कैन की गई फ़ाइलों को एकल पीडीएफ फ़ाइल (केवल 20 एमबी आकार तक) में संयोजित कर सकती है जो डीएसआईआर को भेजे जाने वाले ईमेल के विषय में स्पष्ट रूप से "कंपनी के नाम और 3सीएम अनुमोदन/मान्यता संख्या द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म 3सीएम/3सीएल/नियम 5(2) में अनुमोदन" के लिए अनुरोध को दर्शाती है।

2. कंपनी को ई-मेल के माध्यम से 3सीके आवेदन जमा करने के बाद फॉर्म 3सीके अप्लीकेशन के एग्रीमेंट्स की इंक साइन्ड हार्ड कॉपी विभाग को भेजनी चाहिए।

3. उपरोक्त अंतिम तिथि के बाद भेजे गए/जमा किए गए ईमेल आवेदनों पर कार्यवाही हेतु विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4. कृपया हस्ताक्षरित और मुद्रांकित आवेदन, संलग्नकों, अनुलग्नकों की सॉफ्ट कॉपी एकल स्कैन की गई पीडीएफ फाइल के रूप में 1 जून 2024 से केवल [headfi-dsir@gov.in](mailto:headfi-dsir@gov.in) पर ईमेल द्वारा जमा करें।

(डॉ. पी. के. दत्त)

वैज्ञानिक 'जी', प्रमुख आईआरडीपीपी